भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2929
दिनांक 12.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी जल संकट

†2929. श्री सचिदानन्दम आर.:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में शहरी जल संकट से निपटने के लिए एक परिष्कृत और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है कि जल की वास्तविक कमी और इसके बाह्य कारकों को परिलक्षित करते हुए उत्तरोत्तर जल मूल्य निर्धारण तंत्र आरंभ करने से संपूर्ण शहरी भारत में इसके संरक्षण और कुशल उपयोग को बढ़ावा मिल सके?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग) माह अगस्त 2019 से, भारत सरकार कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल अर्थात नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) के 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर का प्रावधान करने हेतु राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल को क्रियान्वित कर रही है।

माह अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, दिनांक 09.12.2024 की स्थिति के अनुसार, 12.11 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 09.12.2024 की स्थिति के अनुसार, देश के 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.34 करोड़ (79.28%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है और शेष परिवारों को राज्यों द्वारा उनकी आयोजनाओं के अनुसार शामिल किए जाने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति से संबंधित कार्य आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं और मंत्रालय द्वारा सूचित किया है कि जल राज्य सूची का विषय है, जल का प्रबंधन मुख्यत राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने विभिन्न दिशा-निर्देश जारी करने, राष्ट्रीय मिशनों अर्थात् अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पानी के स्थायी प्रबंधन की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

1. अमृत

- दिनांक 25 जून, 2015 को देश भर के 500 चयनित शहरों में शुरु किया गया, जिसमें लगभग 60% शहरी आबादी शामिल है। अमृत जल आपूर्ति सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन; और अन्य क्षेत्रों में चयनित शहरों में बुनियादी शहरी अवसंरचना के विकास पर केंद्रित है; 77,640 करोड़ रुपये के अनुमोदित योजना आकार में से, 39,011 करोड़ रुपये (~50%) की बड़ी राशि जल आपूर्ति क्षेत्र के लिए आवंटित की गई है।

- जल आपूर्ति क्षेत्र में, शहरी स्थानीय निकाय/राज्य जल आपूर्ति प्रणाली के नए/संवर्धन/पुनर्वास जल आपूर्ति के लिए जल निकायों का पुनरुद्धार और भूजल पुनर्भरण आदि से संबंधित परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं; अब तक, 43,242 करोड़ रुपये की 1,390 परियोजनाओं का शिलन्यास किया गया है, जिनमें से 41,134 करोड़ रुपये के काम वास्तविक रूप से पूरे हो चुके हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से और अन्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल में, अब तक 189 लाख घरेलू जल नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

- इसके अतिरिक्त, राज्यों ने अमृत के जल आपूर्ति घटक के अंतर्गत वर्षा जल संचयन और जल निकायों के पुनरूद्धार से संबंधित परियोजनाएं भी शुरू की हैं। कायाकल्प के लिए 09 जल निकायों को लिया गया है और जल संरक्षण में सहायता के लिए राज्यों द्वारा वर्षा जल संचयन से संबंधित 7 परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

- इसके अलावा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप राज्यों को अपनाने के लिए उनके मार्गदर्शन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। आदर्श निर्माण उप-नियम (एमबीबीएल), 2016 और शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 में वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

2. अमृत 2.0

- इसे आगे बढ़ाते हुए, अमृत 2.0 को दिनांक 1 अक्टूबर 2021 को देश के सभी संविधिक शहरों को शामिल करते हुए जल आपूर्ति की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करने और शहरों को 'जल सुरक्षित' बनाने और 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए शुरु किया गया है।

- यह मीठे पानी के संसाधनों को बढ़ाने के लिए जल निकायों, शहरी जलभृत प्रबंधन, पुन:चक्रित और पुन: उपयोग और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के कायाकल्प की परिकल्पना करता है।

- मिशन में एक सुधार एजेंडा है जो गैर-राजस्व जल में कमी, 20% शोधित उपयोग किए गए जल के पुनर्चक्रण/पुनउपयोग और कुशल नगर नियोजन आदि के माध्यम से यूएलबी की वित्तीय स्थिरता और जल सुरक्षा पर केंद्रित है।

- जलभृत प्रबंधन योजना का लक्ष्य शहरी जलभृत प्रणालियों में सकारात्मक भूजल संतुलन बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना है।

- अब तक, जल आपूर्ति क्षेत्र के तहत, 1,14,073.65 करोड़ रुपये की 3,596 परियोजनाओं और 6,159.29 करोड़ रुपये की 3,078 जल निकाय कायाकल्प परियोजनाओं को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है।

*****